



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012026-269059
CG-DL-E-02012026-269059

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 08]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 1, 2026/पौष 11, 1947

No. 08]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 1, 2026/PAUSHA 11, 1947

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2025

का.आ. 8(अ).— केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के खान मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3327 (अ), तारीख 18 जुलाई, 2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—
उक्त अधिसूचना में, “मैसर्स माहेश्वरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड” शब्दों के स्थान पर, “मैसर्स एमएमपीएल प्राइवेट लिमिटेड (पहले माहेश्वरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. एम.VI-16/22/2022-खान VI-भाग (1)]

दिनेश माहुर, संयुक्त सचिव

टिप्पण— मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3327(अ), तारीख 18 जुलाई, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF MINES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st December, 2025

S.O. 8(E).— In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub- section (1) of section 4 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Mines, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.3327(E). dated the 18th July, 2025, namely:—

In the said notification, for the words “M/s. Maheshwari Mining Private Limited”, the words and brackets “M/s. MMPL Private Limited (formerly Maheshwari Mining Pvt. Ltd.)” shall be substituted.

[F. No. M.VI-16/22/2022-Mines VI-Pt(1)]

DINESH MAHUR, Jt. Secy.

Note.—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3327(E), dated the 18th July, 2025.